राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 25/2017 GCMS No. 2017/00025

1. बिमला देवी पत्नी श्री रोशनलाल जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.................वादीया

– ब ना म –

1. दलीप सिंह दत्तक पुत्र नोरंग जाति अहीर निवासी सहड़ हाल आबाद बालास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. सारली पत्नी श्री रामसिंह उर्फ होशियार सिंह जाति अहीर निवासी सहड़
3. रामनिवास पुत्र श्री रामसिंह उर्फ होशियार सिंह जाति अहीर निवासी सहड़
4. सत्यवीर पुत्र श्री रामसिंह उर्फ होशियार सिंह जाति अहीर निवासी सहड
5. नाराणी पुत्री श्री रामसिंह उर्फ होशियार सिंह पत्नी श्री शिशराम जाति अहीर निवासी सहड़ हाल आबाद झांझा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. रतना पुत्री श्री रामसिंह उर्फ होशियार सिंह पत्नी श्री मुन्शीराम जाति अहीर निवासी सहड़ हाल आबाद रघुनाथपुरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ
7. हेतराम पुत्र श्री रिछपाल जाति अहीर निवासी सहड़ (फौत)
   7/1. रोशनलाल पुत्र हेतराम जाति अहीर निवासी सहड़
   7/2. कमला पुत्री हेतराम जाति अहीर निवासी सहड़
   7/3. रेशमी पुत्री हेतराम जाति अहीर निवासी सहड़
   7/4. भतेरी पुत्री हेतराम जाति अहीर निवासी सहड़
8. शैतान पुत्री श्री श्योकरण जाति अहीर निवासी सहड़
9. जगमाल पुत्र श्री ताराचन्द जाति अहीर निवासी सहड़
10. रामनिवास पुत्र श्री ताराचन्द जाति अहीर निवासी सहड़
11. घीसाराम पुत्र श्री प्रसादाराम उर्फ रामप्रसाद जाति अहीर निवासी सहड़
12. राजवीर पुत्र श्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी सहड़ हाल आबाद बालास बुहाना
13. मु. भूरली पत्नी स्व0 श्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी सहड़ हाल आबाद बालास बुहाना
14. चमेली पत्नी स्व0 श्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी सहड़ हाल आबाद बालास बुहाना
15. आईसीआईसीआई बैंक शाखा ढाणा तन सिंघाना जरिये शाखा प्रबंधक
16. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

.................प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2024.12.20 12:28:26 IST
Reason: SelfAttested

दावा– खाता विभाजन

– निर्णय –

दिनांक 29/11/24

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्याः–25 / 2017
बिमला देवी बनाम दलीप सिंह आदि
निर्णय दिनांकः–29/11/24

1. यह कि वाके ग्राम सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2069–2072 ख0 न0 190 रकबा 0.31 है0, ख0 न0 236 रकबा 0.54 है0, ख0 न0 239 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 440 रकबा 0.51 है0, ख0 न0 468 रकबा 0.70 है0, ख0 न0 892 / 354 रकबा 0.65 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 3.26 है0, में वादी का 1 / 3 हिस्से में से 0.5366 है0, रकबा के 34 / 39 हिस्से का खाता विभाजन, रास्ते का प्रावधान करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।
2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, व 16 की तामील असालतन, प्रतिवादी संख्या 3 की तामील भाई मार्फत व प्रतिवादी संख्या 5 की तामील पति मार्फत, प्रतिवादी संख्या 6, 8, 11, 15 की तामील रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हुई।
3. वादी की और से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबन्दी संम्वत 2069–2072 (खाता संख्याय 50) नकल नक्शा ट्रेस प्रतिलिपि पेश किये गये।
4. प्रतिवादी संख्या 1, 4, 13 व 14 की ओर से श्री अशोक यादव एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया परन्तु पर्याप्त अवसर प्रदानगी उपरान्त जवाब दावा अप्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 7 / 1 लगायत 7 / 4 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार एडवोकेट द्वारा जवाब दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। जिसके अनुसार अनुतोष चाहा गया है कि–

अतः प्रतिदावा पेश कर निवेदन हैं कि –

यह कि वाके ग्राम सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2069–2072 ख0 न0 190 रकबा 0.31 है0, ख0 न0 236 रकबा 0.54 है0, ख0 न0 239 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 440 रकबा 0.51 है0, ख0 न0 468 रकबा 0.70 है0, ख0 न0 892 / 354 रकबा 0.65 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 3.26 है0, में प्रतिवादी संख्या 7 / 1 लगायत 7 / 4 के 1 / 12 हिस्से का खाता विभाजन करते हुये राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। खाता विभाजन खातेदार का काश्तकारी अधिकार है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 एवं 8 लगायत 14 के अनुपस्थित रहने पर EX Party करार देकर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.06.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 281 दिनांक 29.06.2022 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1764 दिनांक 16.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहम[illegible] प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उप[illegible] वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। [illegible] जमाबदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम सहड़ स्थित भूमि हाल खाता संख्या 162 में वादीया व प्रतिवादी संख्या 7 / 1 लगायत 7 / 4 के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे का[illegible] अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2024.12.20 12:28:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

– :: आदेश ::–

''न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के ख0 न0 190 रकबा 0.31 है0, ख0 न0 236 रकबा 0.54 है0, ख0 न0 239 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 440 रकबा 0.51 है0, ख0 न0 468 रकबा 0.70 है0, ख0 न0 892 / 354 रकबा 0.65 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 3.26 है0, में वादीया का 1 / 3 हिस्से में से 0.5366 है0, रकबा के 34 / 39 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 7 / 1 लगायत 7 / 4 के 1 / 12 हिस्से का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब–1'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब–1'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब–1'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

29/11/24

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29/11/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2024.12.20 12:28:26 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी,बुहाना जिलाझुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी –

पंकज शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 25 / 2017

GCMS No. 2017/00025

बिमला आदि – बनाम – दलीप सिंह

दावा खाता विभाजन

वादीगण की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में व प्रतिवादी संख्या 7 / 1 लगायत 7 / 4 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार एडवोकेट की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री पंकज शर्मा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और अंतिम डिक्री दी जाती हैं कि –

''न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.) स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के ख0 न0 190 रकबा 0.31 है0, ख0 न0 236 रकबा 0.54 है0, ख0 न0 239 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 440 रकबा 0.51 है0, ख0 न0 468 रकबा 0.70 है0, ख0 न0 892 / 354 रकबा 0.65 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 3.26 है0, में वादीया का 1 / 3 हिस्से में से 0.5366 है0, रकबा के 34 / 39 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 7 / 1 लगायत 7 / 4 के 1 / 12 हिस्से का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब–1'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब–1'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–4'' व नक्शा प्रदर्श ''ब–1'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

सह आज तारीख 29/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2024.12.20 12:28:26 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)